सत्यमेव जयते

संख्या– ——— / जी0एस0 / शिक्षा / A11-163(1)/2019

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून दिनांक: 30 सितम्बर, 2019

महोदय,

कृपया प्रभारी कुलसचिव के पत्र संख्याः 2124 दिनांक 22.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **शहीद हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय, अगरोड़ा (धारमण्ड़ल) टिहरी गढ़वाल** को **बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) एवं बी0एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)** पाठ्यक्रम में सत्र 2019–20 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति की संस्तुति के साथ उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अन्तर्गत मा0 कुलाधिपति महोदया द्वारा उक्त महाविद्यालय को **बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित) एवं बी0एससी0 (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान)** पाठ्यक्रम में 60–60 सीटों के साथ सत्र 2019–20 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के प्रस्ताव पर पूर्व स्वीकृति / पूर्वानुमोदन इस उपबन्ध के साथ प्रदान कर दी गई है कि फैकल्टी की नियुक्ति समयान्तर्गत कराते हुए विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार सम्पूर्ण मानक पूर्ण होने की दशा में ही सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे व तत्सम्बन्धी कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदया के अवगतार्थ भी उपलब्ध कराई जाय।

3– तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2402 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A11-163(1) /2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक / प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।